उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम अनुभाग-3

संख्या--1416/36-3--12(वि)-80

लखनऊ : दिनांक 29 जून, 1985

अधिसूचना

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (अधिनियम संख्या 30, सन् 1979) की धारा 2 की उपधारा (1) के खन्ड (क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खन्ड (क) के उपखन्ड (एक) में निर्दिष्ट स्थापनों से भिन्न उत्तर प्रदेश में स्थित उन स्थापनों के जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र देने के लिये इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि नियत करते हैं।

आज्ञा से,

एस0 डी0 बागला

सचिव।